मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 1950

1. नियम 1
2. नियम 2
3. नियम 3
4. नियम 4
5. नियम 5
6. नियम 6
7. नियम 7
8. नियम 8
9. नियम 9
10. नियम 10
11. नियम 11
12. नियम 12

मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 1950

(धारा 32 एवं 76 के अन्तर्गत)

अधिसूचना क्र 8476-8414-X-60 दि० 2-9-60 [(मध्य प्रदेश राजपत्र भाग (4) (सामान्य) पृष्ठ 893 दि० 2-9-60 पर प्रकाशित]

भारतीय वन नियम 1927 (क्र० 16 वर्ष 1927) की धारा 32 एवं 76 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषय पर पूर्व में बनाये सभी नियमों को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतदद्वारा संरक्षित वनों के लिंये निम्नलिखित नियम बनाता है -

नियम

1. संक्षिप्त नाम - इस नियम का संक्षिप्त नाम म.प्र. संरक्षित वन नियम 1950 होगा । इस नियम में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो-

(क) **"अधिनियम'** ' से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) से है ।

(ख) "कृषक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खुदकाश्त करे या जो सामान्यत: स्वत: काश्त करता हो जिसमें **कृषि** मजदूर एवं ग्रामीण शिल्पी सम्मिलित है :

(ग) **"सारांशीकरण"** से तात्पर्य संरक्षित वन से सिर्फ समुचित मात्रा में निस्तार या पैदावार सद्भावपूर्ण घर उपयोग या उपजीविका कार्य के लिये किन्तु वस्तु विनिमय, विक्रय या दुरुपयोग के लिये न हो, प्राप्त करने की सुविधा के बदले में निश्चित राशि पूरे वर्ष में एक बार देने से है ।

(घ) **"अनुज्ञप्ति"** से तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति से है-

(ङ) **"निस्तार"** के अर्थ में निम्नलिखित सम्मिलित है-

(1) काश्तकारी औजारों, नये मकानों के निर्माण, मकानों की मरम्मत और काश्तकारों के मवेशी कोठा के लिये आरक्षित वृक्षों या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से स्वीकृत रक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी ।

(2) सूखी गिरी लकड़ी जो इमारती लकड़ी के उपयुक्त न हो ।

(3) सूखे बॉस व हरे बॉस जहाँ विशेष रूप से बताये हों ।

(4)रूमा, खस या सवाई घास को छोड़कर घास ।

(5) खैर एवं ब्रशबुड को छोड्कर काटे ।
(6) तेन्दूपत्ता छोड्कर पत्ते ।
(7) अनारक्षित झाड़ों की छाल या वल्कल ।
(8) और सतही बोल्डर, मुरुम, रेत, छुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी ।

(च) ''पैदावार'' का अर्थ एवं उसमें सम्मिलित है समस्त खाने योग जडें, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोडकर प्राकृतिक रूप से निकला गोंद, मोम व शहद ।
(छ) उपजीविका निरस्त से तात्पर्य है जीविकोपार्जन के लिये किसी धन्धे को चलाने के लिये आवश्यक निरस्त से है ।
(ज) ''पास'' इन नियमों के अंतर्गत या तरसमय प्रभावशील कोई अन्य विधि, नियम आदेश के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया पास जिसमें सारांशीकरण पास भी सम्मिलित है

2. इसमें इसके पश्चात् नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम या ग्रामो में रहने वाले या जमीन धारण करने वाले कृषकों को तत्समय प्रभावशील नियम या आदेश के अनुसार, जिस संरक्षित वन से वे सम्बद्ध किये गयें हों, उस संरक्षित वन से उनकी आवश्यकतानुसार निस्तार मुफ्त में या रकम पटाकर प्राप्त करने की अनुमति दी जावेगी ।

स्पष्टीकरण---(1) अभिव्यक्ति निस्तार आवश्यकता या पैदावार आवश्यकता से तात्पर्य निस्तार अथवा पैदावार का सद्भावपूर्ण घरु उपयोग के लिये आवश्यकता है और दान, वस्तु विनिमय विक्रय, निर्यात दुरुप्रयोग नही है ।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत स्वीकृत निस्तार एवं पैदावार आवश्यकता की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी । जहां कुल आवश्यकता से कम निस्तार सामग्री उपलब्ध होगी, वहाँ निस्तार सामग्री को साम्य रूप से युक्तिसंगत रूप से वितरित किया जावेगा ।

(3-अ) वन मण्डलाधिकारी समय-समय पर क्षेत्र निर्धारित करेंगे जिसमें से प्रत्येक वर्ष निस्तार प्राप्त किया जावेगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेंगे ।

(ब) वन मण्डलाधिकारी समय-समय पर उपजीविका निस्तार के उपयोग के लिये समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेंगे एवं नियम (2) के अन्तर्गत कृषकों की ' 'निस्तार' ' एवं पैदावार की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद दोहन उपलब्धता के अन्तर्गत शेष मात्रा इस हेतु निश्चित करेंगे ।

(4-अ) कलेक्टर समय-समय पर वन मण्डलाधिकारी की सलाह से एवं तत्समय प्रभावशील नियम एवं आदेशों के अनुसार ग्रामों को विनिर्दिष्ट करेगा, जहाँ के निवासियों को

उनके निस्तार व पैदावार की आवश्यकता सारांशीकरण शुल्क पटाकर प्राप्त करने की अनुमति दी जावेगी ।

(ब) उपनियम (अ) के अध्यधीन रहते हुए सारांशीकरण उन्हीं ग्रामीणों को स्वीकृत की जावेगी जो तत्समय प्रभावशील नियम या आदेश के अनुसार सारांशीकरण शुल्क पटाकर सारांशीकरण पास प्राप्त कर लेगा ।

(5-अ) कोई भी व्यक्ति बिना पास या विधिवत् अनुज्ञप्ति के, संरक्षित वनों से अपनी निस्तार आवश्यकता प्राप्त नही कर सकेगा जब तक कि इस सम्बन्ध में वन मण्डलाधिकारी के विशिष्ट या सामान्य लिखित आदेशों द्वारा छूट प्राप्त न हो ।

(ब) वन मण्डलाधिकारी पासों के वितरण का नियंत्रण करेगा ।

(स) जब तक उपनियम (1) के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी द्वारा छूट प्राप्त न हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ निस्तार पास या वैध अनुज्ञप्ति रख कर निस्तार' लेने के लिये संरक्षित वन में प्रवेश करेगा और इन नियमों के अनुसार निस्तार प्राप्त करेगा ।

3. संरक्षित वनों का दोहन निम्न शर्तो के अध्यधीन होगा-

(अ-1) किसी वृक्ष के चारों और काट कर धेरा नहीं बनाया जावेगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा नहीं किया जावेगा या उसकी डालें नहीं काटी जावेंगी ।

(अ-2) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव नहीं किये जावेंगे ।

(3) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या अन्य किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाया जावेगा ।

(4) गिराने के लिये विशेष रूप से चिन्हित या वन मण्डलाधिकारी के सामान्य आदेश से काटने या हटाने के लिये स्वीकृत वृक्ष के सिवा कोई वृक्ष काटा नहीं जावेगा ।

(5) कोई भी वृक्ष जो छाती ऊँचाई (नीचे से 135 से० मी०) पर 9 इंच या 22 .5 से० मी० से कम हो, नहीं काटे जावेंगे ।

(6) (अ)समस्त काटने वाले वृक्षों को यथा-सम्भव भूमि के संलग्न से काटे जावेंगे ।

(ब) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नही पहुँचाया जावेगा । केवल पलास की जड़ को रस्सी के लिये खोदा जा सकता है किन्तु किसी भी दशा में जड़ के एक तिहाई भाग से अधिक जड़ का भाग नहीं निकाला जावेगा, ताकि शेष जड़ से वृक्ष जीवित रह सके ।

(स) निम्नलिखित नियमों के अध्यधीन रहते हुए केवल कोहा वृक्ष की छाल को वन मण्डलाधिकारी की लिखित स्वीकृति से निकाला जा सकता है । इसके अतिरिक्त

अन्य किसी वृक्ष की छाल नहीं निकाली जावेगी-

(स-1) छाती ऊँचाई (जमीन से 135 से० मी० ऊपर) पर 3-6'' या (105 से० मी०) से अधिक मोटाई वाले वृक्षों के तनों के पूर्वी भाग का ही छाल, विशेष प्रकार के छाल निकालने वाले हथियार से निकाली जावेगी । छाल उतारी नहीं जावेगी बल्कि 5 से० मी० से 2.5 से० मी० के चौखाने में छाल निकाली जावेगी तथा वृक्ष की अन्दरूनी सतह को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी । छाल निकालने की लाइनों के बीच 5 से० मी० की दूरी रखी जावेगी ।

(स-2) छाल जनवरी एवं जून के मध्य ही निकाली जावेगी ।

(3) वृक्ष से एक साल छाल निकालने के बाद तीन साल तक पुन: उससे छाल नहीं उतारी जावेगी ।

(1) ऐसी छाल भरती गाड़ी 5 (पाँच रुपये) रियायती दर पर या समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से दी जावेगी ।

(द) बांस निम्न शतों के अध्यधीन काटा जावेगा-

(1) बांस के कूपों का कटाई का क्रम 4 वर्ष होगी । वार्षिक कटाई के कूप को 4 संभागों में विभाजित किया जावेगा तथा बाँस की कटाई क्रमानुसार संभाग वार की जावेगी अर्थात् सेक्शन "दो" में कटाई जब तक नहीं की जाबेगी जब तक सेक्शन "एक" में कटाई का कार्य नियमानुसार सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण न हो जावे ।

(2) प्रथम वर्ष का अपरिपक्व बांस "करला" या गये वर्ष बांस "महिला" नहीं काटा जावेगा

(3) बांस की जड़ नहीं खोदी जावेगी ।

(4) ऐसे बाँस के झिरे में, जिसमें करला व महिला सहित, दस बांस से कम हो, कटाई नहीं की जावेगी ।

(2) ऐसे बाँस झिरे में जिसमें 10 से अधिक बाँस हों, (उन बांसों को छोड़कर जो 18"ृ=45 से० मी० से कम ऊँचाई पर टूटे हो) शेष बाँसों को पूरे झिरे में सुसंगत रूप से छोड़ा जावेगा तथा छोड़े गये पके बाँसों की संख्या (महिला को छोड़कर) उस झिरे में "करला" बाँस की संख्या की दुगुनी से कम न होगी बशर्ते 10 जीवन्त बाँस झिरे में न्यूनतम है ।

उदाहरण- किमी बाँस के झिरे में 3 करला, 5 महिला एवं 9 अन्य पके बाँस कुल 17 बाँस हैं

इस भिरे में 3 करला के दुगुने अर्थात् 6 पके बाँस रोके जाना है लेकिन यह संख्या 10 से कम है अत: 7 पके बाँस रोके जावेंगे अर्थात् भिरे में 3 करला, 5 महिला एवं 7 पके बाँस रोके जाकर दो पके बाँस काटे जावेंगे ।

(6) कटने वाले बांस को जमीन से गठान ऊपर कम से कम 6" या 15 से. मी ० अधिकतम 18" = 45 से० मी ० के बीच में काटना चाहिये ।

(7) बाँस तेज धार वाले औजार से काटा जावेगा ताकि बाँस के एक ठूंठ न फटे ।

(8) बाँस के बंडल गठ्ठे बाँधने के लिये किसी भी दशा में करला व महिला बाँस नहीं काटा जावेगा ।

(ई) खजूर के वृक्षों से रस निकालने की प्रक्रिया निम्न शर्तो के अधीन की जावेगी-

(1) यदि कोई खजूर वृक्ष भूमि से, उगती हुई डाली के तले तक 6'= 180 से० मी० से कम हो तो उस वृक्ष से रस निकालने की प्रक्रिया नहीं की जावेगी ।
(2) किमी भी एक वर्ष में, वृक्ष के तने में एक स्थान पर रस निकालने की प्रक्रिया उगती डाली के तल पर, की जावेगी ।
(3) वृक्ष से रस निकालने की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से पत्ते नहीं काटे जावेंगे, और छेद इस प्रकार न किये जावें कि वृक्ष मर जावें ।

(एफ) (1) इन नियमों के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, संरक्षित वन की लघु वन उपज वन मण्डलाधिकारी द्वारा उसी प्रकार विक्रय की जावेगी, जिस प्रकार आरक्षित वन में की जाती है ।

(2) सभी वन उपज, वन मण्डलाधिकारी के प्राधिकार द्वारा प्रदत्त पास, या इन नियमों या तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी के प्राधिकार के जारी अनुज्ञा के अन्तर्गत ही संरक्षित वन से हटाई जावेगी ।

(3) सूर्यास्त एवं सूर्योदय के मध्य कोई भी वन उपज नहीं ले जाई जावेगी ।

(4) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 'दहिया' या 'बेवर' कृषि को अनुमति नहीं दी जावेगी ।

4. वनोपज को हटाने या विनियोजित करने के लिये पास या अनुज्ञाधारी व्यक्ति, जन वह संरक्षित वन में उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में प्रवेश करे तो अपने आधिपत्य में पास या अनुज्ञा अवश्य रखेगा और किसी वन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होगा जिसे अकाल या सूखा के समय राज्य शासन द्वारा बिना पास वन-उपज ले जाने की अनुमति दी हो ।

5 वन संरक्षक समय-समय पर संरक्षित वनों से निकाली जाने वाली प्रत्येक वन-उपज के लिये दर निर्धारित करेगा ।

6 (1) संरक्षित वन के पांच किलोमीटर के भीतर यदि कोई व्यक्ति जंगल या घास जमीन को आग लगाकर साफ करना चाहता है, तो वह निम्न नियमों का पालन करेगा ।

(अ) जिस वनाधिकारी के क्षेत्राधिकार में वह भूमि हो, उससे नजदीकी वन-रक्षक, वनपाल या परिक्षेत्र अधिकारी को, आग जलाने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपने इरादे की सूचना देगा ।

(ब) जिस क्षेल को जलाना चाहता है, उससे संरक्षित वन की ओर (30 फुट) या 9 मीटर चौड़ी पट्टी में इस प्रकार सफाई करेगा कि आग उसके पार न फैल सके ।

(स) जब तेज हवा चल रही हो, आग नहीं लगावेगा ।

(2) आरक्षित वन से एक मील (1.6 किलोमीटर) के भीतर की भूमि पर आग लगाने का इच्छुक व्यक्ति लकड़ी, घास या अन्य ज्वलनशील सामग्री को ढेरों में एकत्र करेगा और इसे एक के बाद ढेरों को ऐसे जलावेगा जिससे आग न फैले और संरक्षित बन को नुकसान न पहुँचावे ।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो संरक्षित वन में ज्वलनशील सामग्री वनोपज जैसे घास या बाँस एकत्रित करता है या ऐसी वनोपज एकत्रित करने का अनुज्ञाधारी व्यक्ति, संरक्षित बन से उचित दूरी पर, जो वन मण्डलाधिकारी के, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा निर्देशित हो, उसे स्थान में एकत्रित करेगा, तथा उनको इस प्रकार अलग रखेगा कि उनमें लगने से आग आस-पास क्षेत्र में न फैले एवं संरक्षित वन को खतरे में डाले |

(4) संरक्षित वनॅ की सीमा पर, या वन के भीतर, यात्रियों को ठहरने के स्थलों को, वन मण्डलाधिकारी द्वारा अलग किया जावेगा और उनको साफ कराया जायगा तथा इन स्थलों की सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित की जावेगी और ऐसे शिविर स्थलों के अतिरिक्त संरक्षित वन की सीमा पर या वन में कहीं भी आग नहीं लगाई जावेगी । इन शिविर स्थलों का उपभोग करने वाले व्यक्ति, खाना पकाने या अन्य, कार्य के लिये इस प्रकार आग जलावेंगे जिससे संरक्षित वन, या शिविर स्थल पर स्थित कोई भवन या अन्य सम्पत्ति को आग से नुकसान न पहुँचे तथा शिविर छोड़ने के पूर्व सब ज्वलनशील पदार्थ को शिविर केन्द्र में एकत्रित करेंगे तथा सावधानीपूर्वक पूरी आग बुझा देंगे ।

(5) पहिली नवम्बर तथा तीस जून के मध्य या इससे पहले या बाद की तिथियों में जैसा वन मण्डलाधिकारी वन संरक्षक की पूर्व अनुमति से, धारा 26 (ग) के अन्तर्गत निर्धारित करें संरक्षित वन में या उसकी सीमा पर जलती आग ले जाना, आग जलाना, या मशाल ले जाना वर्जित होगा । शिविर स्थल छोड़कर, संरक्षित वन में उक्त अवधि में धूम्रपान भी वर्जित होगा ।

(6) कोई भी व्यक्ति संरक्षित वन में कोई आग नहीं जलावेगा, और कोई भी व्यक्ति संरक्षित वन के पास ऐसी आग नहीं जलावेगा जिससे वहाँ पड़ी हुई किसी लकड़ी या धारा 30 के अन्तर्गत घोंषित सुरक्षित वृक्षों को हानि पहुँचे ।

(7) संरक्षित वन में कोई अधिकार का उपभोग करने वाला कोई व्यक्ति, निस्तार सुविधा पाने वाला व्यक्ति या संरक्षित वन में पशु चराने की सुविधा का उपभोग करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि संरक्षित वन में या उसके पास आग लगने की जानकारी होने पर तत्काल नजदीकी 'वन अधिकारी' को सूचना देगा और वन अधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई हो या नहीं ।

(i) ऐसी उक्त आग को बुझाने, और

(ii) ऐसे वन के समीप लगी आग को वन के भीतर फैलने से रोकने हेतु अपनी पूर्ण वैधानिक साधनों के द्वारा रोकने का कदम उठावेगा ।

7. (1) किसी संरक्षित वन को आवंटित ग्रामों में निवास करने वाले कृषक, या उसमें भूमि धारण करने वाले, या कृषि शिल्पी या मजदूरों को तत्समय प्रभावशील नियम और आदेशों के अनुसार उस संरक्षित वन में पशु चराने की अनुमति दी जावेगी :

परन्तु वन मण्डलाधिकारी की स्वीकृति के अभाव में कोई भी व्यक्ति घास बीड जलाऊ तथा चारे हेतु रक्षित क्षेत्र पुनरोत्पादन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र में पशु नहीं चरावेगा । वृक्षों से आच्छदित श्रेत्र पूर्व चारागाह जहाँ लागू है, में भेड़, बकरी चराना वर्जित होगा । वन मण्डलाधिकारी द्वारा नि: शुल्क चराई और बिना प्रतिबन्ध चराई हेतु संरक्षित वन के पहाड़ व चट्टानी क्षेत्र; जो विशेष रूप से अलग किये गये हों, केवल उसमें (भेड़ बकरी) चरा सकते हैं । बरसात में, किसी भी एक स्थान पर भेड़ बकरी को चराने के लिये, एक सप्ताह से अधिक ठहरने नहीं दिया

(2) वन मण्डलाधिकारी चराई अनुज्ञप्ति प्रदाय, चराई शुल्क वसूली, पशुओं की चेकिंग को उसी प्रकार नियंत्रित करेगा जैसी आरक्षित वनों के सम्बन्ध में होगी ।

(3) दूर स्थानों के चराई सुविधा प्राप्त पशुओं के लिये वन मण्डलाधिकारी, वन क्षेत्र में पशु शिविर निश्चित करेगा ।

(4) संरक्षित वनों में चराई के लिये, राज्य शासन द्वारा, समय-समग्र पर जो शुल्क निर्धारित किया जायेगा, वही होगा ।

8. संरक्षित वन से प्रवाहित होने वाली किसी नदी में मछली मारने के अधिकार का ठेका नहीं दिया जावेगा ।

परन्तु वन संरक्षक, नदी के सुविदित भाग में, वहाँ के मूल निवासी मछली मारने वालों को अनुज्ञप्ति देकर मछली मारने के अधिकार को नियंत्रित कर सकता है ।

परन्तु नदी में उपर्युक्त मत्स्य प्रजनन का स्थान उपलब्ध कराने के बाद, तथा आस-पास के निवासियों को मछली की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी ।

(2) ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

9. ग्राम पंचायत, विकास-मण्डल या ग्रामीण के परामर्श से वार्षिक किराया निश्चित करके वन मण्डलाधिकारी, नदी की या तालाब की भूमि को काश्तकारी के लिये, उन व्यक्तियों को जो प्राय: उक्त भूमि पर काश्त करते रहे हो काश्तकारी के लिये वंटन कर सकेगा ।

10. अधिनियम की धारा 26(1) और 76 के अन्तर्गत बनाये गये नियम जो जिस प्रकार महा-कौशलय क्षेत्र में प्रभावशील है, वे उसी प्रकार यथावश्यक परिवर्तन सहित संरक्षित वनों में प्रवृत्त होंगे जैसे आरक्षित वनों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं ।

11. आरक्षित वनों अशिष्ट में ‘’वनो ग्रामों" शिष्ट की स्थापना के लिये जो प्रक्रिया दी है, उसी के अनुसार संरक्षित वनों में भी "वन ग्राम" स्थापित किये जा सकते हैं ।

12. वृक्ष और इमारती लकड़ी की कटाई, चिराई, परिवर्तन एवं हटाना तथा वन उपज का संग्रहण, निर्माण और परिवर्तन, घास काटना, पशु चराना यथाशक्य राज्य शासन द्वारा स्वीकृत कार्यकरण योजना या कार्य आयोजन के प्रावधान अनुसार जो इन नियमों से असंगत न हो, नियंत्रित होगा ।